दिनांक 13.05.2020 स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

निगम क्षेत्र में मास्क को लेकर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही जारी, 23 लोगों से लिया गया 9200 रुपए जुर्माना

भिलाईनगर / सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने वाले , बिना मास्क पहने घर से निकलने वाले , दुकानदार एवं ग्राहकों के द्वारा मास्क नहीं पहने होने पर निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है ऐसे 23 लोगों पर जुर्माना की कार्यवाही करते हुए 9200 रुपए वसूल किए गए! नमक की किल्लत होने की अफवाह के बाद किराना दुकानों में नमक पैकेट मनमाने दाम पर बेचने की शिकायत पर भिलाई निगम द्वारा दिन मंगलवार को कार्यवाही की गई। नमक की कालाबाजारी को रोकने भिलाई निगम और खाद्य विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया जहां 18 रूपए के नमक पैकेट को 30 में बेचते पाए जाने पर जोन 04 शिवाजी नगर क्षेत्र के दो दुकानदारों से 7000 रूपए अर्थदंड वसूला गया। नमक पैकेट को निर्धारित दाम से अधिक दाम पर बेचे जाने के बाद भिलाई के व्यक्ति ने निदान के नंबर में एक दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। नमक की कालाबाजारी तथा अधिक दर पर बेचे जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को भिलाई निगम जोन कं. 04 के राजस्व विभाग की टीम और जिला खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने दो दुकानों का निरीक्षण किए और अधिक दाम पर नमक पैकेट बेचने की शिकायत सही पाए जाने पर कार्यवाही किए। वार्ड 33 सुभाषनगर के श्री सांई जलाराम प्रोव्हिजन स्टोर्स में 18 रूपए के टाटा नमक को 30 रूपए में बेच रहा था जिस पर दुकानदार पर 5000 रूपए तथा वार्ड 36 गौतम नगर के अशरफ किराना दुकान में अधिक दाम पर बेचते हुए पाए जाने पर 2000 रूपए जुर्माना वसूला गया।